पत्रांक 15/सी 2–238/2014–2182

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के0 सेंथिल कुमार (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 17/11/2014

विषयः– एम०जे०सी०संख्या 3052/2010 राम कुमार सिंह वनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.10.2014 को पारित अन्तरिम न्यायादेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपरोक्त विषयक अवमाननावाद संख्या 3052/10 राम कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.10.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के अवलोकन से विदित होता है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद, विश्वविद्यालयों द्वारा राशि की अनुपलब्धता दर्शायी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग एवं विश्वविद्यालय के बीच इस मामले में संवाद शून्यता के कारण कई स्तर पर कठिनाईयॉ उत्पन्न हो रही है।

उक्त उत्पन्न परिस्थिति के निराकरण हेतु दिनांक 20.11.2014 को 11.00 बजे पूर्वा0 में सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ विभागीय सभागार, विकास भवन, पटना में एक बैठक आहूत की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर यथोचित प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने का कष्ट करें, ताकि इस समस्या का निराकरण किया जा सके। इसे आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन,

17/11

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव